

सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में दिनांक 06 से 27 नवम्बर, 2024
तक 492वां न.ई.पी. - 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम
में पहले आओ पहले पाओ के आधार
पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत शिक्षको की सूची

क्रं सं	शिक्षक का नाम	राज्य	दिनांक
1.	श्री धनंजय बामणे (ए/एफ)	छत्तीसगढ	09 सितम्बर, 2024
2.	सुश्री चंद्रकला नाग (ए/एफ)	छत्तीसगढ	09 सितम्बर, 2024
3.	श्री के. थवसुमानी	तमिलनाडु	24 सितम्बर,, 2024
4.	श्री एस. जेसुराज	तमिलनाडु	24 सितम्बर,, 2024
5.	श्री जगरूप	हरियाणा	25 सितम्बर,, 2024
6.	सुश्री नीरू शर्मा	हरियाणा	25 सितम्बर,, 2024
7.	सुश्री नीतू भंडारी	हरियाणा	25 सितम्बर,, 2024
8.	श्री जय कुमार	हरियाणा	25 सितम्बर,, 2024
9.	सुश्री कोमल	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
10.	सुश्री नेहा चौधरी	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
11.	सुश्री करिशन कुमार	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
12.	श्री पवन कुमार	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
13.	श्री मनोज कुमार	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
14.	सुश्री पिंकी रानी	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
15.	सुश्री बबीता देवी	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
16.	सुश्री कंचन	हरियाणा	25 सितम्बर, 2024
17.	श्री रवीन्द्र कुमार	हिमाचल प्रदेश	07 अक्तूबर, 2024

18.	श्री ओम प्रकाश	राजस्थान	08 अक्तूबर, 2024
19.	श्री सुभाष चंदर (ए/एफ)	जम्मू एवं कश्मीर	22 अक्तूबर, 2024
20.	श्री देबब्रत दुआरी (ए/एफ)	पश्चिम बंगाल	22 अक्तूबर, 2024
21.	श्री सन्नी राज बदन	उतार प्रदेश	23 अक्तूबर, 2024
22.	श्री मदन मोहन उपाध्याय	उतार प्रदेश	23 अक्तूबर, 2024
23.	श्री रिकू कुमार	उतार प्रदेश	23 अक्तूबर, 2024
24.	श्री चेतना तानिया	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्तूबर, 2024
25.	श्री नबाम कहा	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्तूबर, 2024
26.	श्री बेक कैली	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्तूबर, 2024
27.	श्री हिमोएन बोरगोहन	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्तूबर, 2024
28.	श्री तेची टैगिक	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्तूबर 2024
29.	श्री नबाम लालिंग	अरुणाचल प्रदेश	24 अक्तूबर, 2024
30.	श्री इमरान तांत्रे	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
31.	श्री इशरत अमीन	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर 2024
32.	श्री नसीब सिंह	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
33.	श्री सुभाष चंदर	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
34.	श्री सुरिंदर सिंह	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
35.	श्री सहबीर अहमद बाली	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
36.	श्री अतर सिंह	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
37.	डॉ. शाहिद रसूल	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
38.	श्री दलीप कुमार	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024
39.	सुश्री रेखा रानी	जम्मू एवं कश्मीर	30 अक्तूबर, 2024

यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त शिक्षक जिन्हें उनके संबंधित राज्य शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा:

- पंजीकरण के समय शिक्षकों की आयु **52** वर्ष तक होनी चाहिए (पंजीकरण के समय जन्म तिथि का प्रमाण देना अनिवार्य है)
- विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक, जैसे. पाठ्यक्रम के लिए भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, ललित कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, संगीत आदि की सिफारिश की जानी चाहिए। योग, शारीरिक शिक्षा और एसयूपीडब्ल्यू विषयों से संबंधित शिक्षक का नाम प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। ओरिएंटेशन कोर्स के लिए एक समय में एक स्कूल से केवल एक शिक्षक की सिफारिश की जानी चाहिए।
- कक्षा **6वीं/7वीं/8वीं/9वीं/10वीं/11वीं** एवं **12वीं** में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ही प्रतिनियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को ओरिएंटेशन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए।
- जो शिक्षक पहले से ही ओरिएंटेशन कोर्स या ओरिएंटेशन (बेसिक फाउंडेशन) कोर्स में भाग ले चुके हैं, उन्हें दोबारा प्रतिनियुक्त/अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए।
- अनुबंध/परिवीक्षा पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि केवल नियमित शिक्षक ही एनईपी **2020** के अनुरूप ओरिएंटेशन कोर्स के लिए पात्र हैं।
- न्यूनतम **02** वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन टीए के भुगतान के लिए, प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कागज की अलग-अलग शीट पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना होगा: -

- (i) जन्मतिथि का प्रमाण
- (ii) स्कूल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र Basic Pay Certificate
- (iii) दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- (iv) रद्द किया गया चेक/पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी
- (v) टिकट/टिकट संख्या (आगे की यात्रा की मूल प्रति और वापसी यात्रा की फोटोकॉपी)। यात्रा के लिए पात्र श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग के आने-जाने के टिकट खरीदने चाहिए।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।